REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 3 | DECEMBER – 2017

महिला सशक्तिकरण की राजनीति : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

नंदाणिया परबत वीरा
बी.ए., बी.एड., एम.ए., एम.फिल.

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं में आत्म सम्मान व आत्म विश्वास की भावना विकसित करना महिलाओं की सकारात्मक छवि का निर्माण उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में योगदान को मान्यता देकर किया जा सकता है, महिलाओं में आलोचनात्मक चिंतनशील क्षमता का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित व उन्नत करना, विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी करना, आर्थिक स्वतंत्रता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना, तथा महिलाओं के कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अधिकारों संबंधी सूचनाओं तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करना व सामाजिक आर्थिक जीवन के सभी अंगो में समानरूप से उनकी सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास करना ही महिला सशक्तिकरण है।''

स्त्री पुरूष की विकास के कार्यो में सहभागिता से ही देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है इस कारण स्त्री पुरूष के मध्य का संतुलन होना आवश्यक है। इसके लिए स्त्री को प्रत्येक दृष्टि से सक्षम योग्य, शिक्षित और प्रगतिशील बनाया जा सकता है और देश व देश के बाहर की महिलाओं की भूमिकाओं से अवगत कराया जा सकता है। स्त्री का सर्वांगीण विकास करके ही देश की मुख्य धारा से उसे जोड़ा जा सकता है। उसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर उसमें आत्मविश्वास पैदा करके उसे सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनीति और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन अधिकारों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी हों क्योंकि निर्णय की क्षमता केवल पुरूषों में ही नही है बल्कि महिलाओं में भी है और यही क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। समाज सामाजिक संबंधो, सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक भूमिकाओं सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं से निर्मित एक ऐसी इकाई है जिसे (Public और Private Space) सार्वजनिक व निजी स्पेस में बाँटा गया है। जहाँ सार्वजनिक स्थानों में पुरूषों का ही वर्चस्व है। वही नारी का वर्चस्व केवल निजी माना गया है। क्योंकि माना जाता है कि पुरूष प्रधान है और महिला उसकी सम्पत्ति को कमाने का अधिकार है। जबकि महिलाओ का कार्य स्थल सिर्फ घर की चार दीवारी माना गया है। क्योंकि पुरूषों को परिवार की, समाज की आर्थिक इकाई माना गया है। जबकि महिलाओं को गैर आर्थिक इकाई माना गया है। पुरूष वर्ग जब कार्य करता है। तो उसे तनख्वाह दी जाती है लेकिन जब महिला घर का कार्य दिनभर करती है, तो उसे तनख्वाह नहीं दी जाती है, आज भी महिला पुरूषों पर निर्भर है, पुरूष वर्ग को कार्य करने की, विचारों को प्रस्तुत करने की तथा अपनी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का

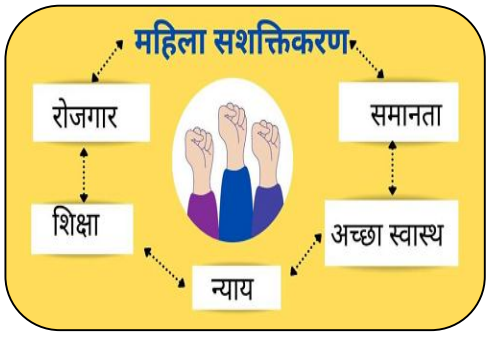

अधिकार हैं क्योंकि वह सवतंत्र है परन्तु महिलाओं को ऐसी स्वतंत्रता कहां है वह आज भी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरूषों पर निर्भर है। कहने को तो देश स्वतंत्र है और प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की।

अभिव्यक्ति की, रहने की व अपने अधिकारों के प्रयोग की स्वतंत्रता है परन्तु महिलाएँ आज भी विचारों से पुरूषों से बंधी है वह ना तो शारीरिक रूप से स्वतंत्र है और ना ही वैचारिक रूप से।समय के साथ भारत में नारी परिदृश्य का स्वरूप नही बदला और नाही एक जैसा रहा। परिर्वतन एक निरंतर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये परिर्वतन ही स्त्री-पुरूष की स्थिति और भूमिका का निर्धारण करते है। वैदिक युग में जो स्थिति नारी की थी वेसी स्थिति वर्तमान समय में नही रही आज स्त्री केवल भोग्या समझी जाने वाली वस्तु है। सामंत राजा और महाराजा बहुपत्नी भोगी बन गये। बाल-विवाह, बहुपत्नी विवाह, दहेज-प्रथा, विधवा-विवाह, निषेध विवाह, सती प्रथा आदि के पनायदान पर ला दिया। ब्रिटिश शासन काल में नारी की स्थिति की में परिर्वतन हुआ और असी युग में स्त्री समाज से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी समस्याओं के विरूद्व आनदोलन छेड़ा गया। इन परिवर्तित परिस्थितियों ने ऐसे परिर्वतन ला दिये कि नारी का संसार बदलता नजर आया। आर्थिक राजनीति परिस्थितियो के आधार पर नारी जगत में भी गंभीर परिर्वतन हुआ है।

सामान्यत: नारी ने अपने आपको परिवार पितृ सत्तात्मक समाज अथवा पुरूष प्रधान समाज तक ही सीमित कर लिया है। नारी की विभिन्न दशाओं, स्थितियों भूमिकाओं और परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद कई समाज में कहाँ खड़ी है। उसके चारों और की परिस्थितियाँ कैसी है? लिंग समानता और सामाजिक न्याय की दुनिया में उसकी क्या स्थिति है? भारत जैसे बहुलवादी देश में नारी की स्थिति अब किस रूप में अभर रही है? क्या इस बदली हुई परिस्थिति में उसका आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य भी परिवर्तित हुआ है।

१९७१ में सरकार ने महिला की संस्तरणात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए एक कमेटी बनायी, जिसमें यह देखा गया कि पंचवर्षीय योजनाओं में नारी के उत्थान और कल्याण के लिए क्या योजनाएँ बनायी गयी है? क्या ये कार्यतुम ग्रामी और शहरी महिलाओं के लिए पृथक-पृथक है? क्या समानता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से संविधान में संशोधन किया गया है? क्या मूलाधिकार और नीति-निर्देश तत्वों में महिलाओं के शोषण, उदत्पीड़न और अत्याचार से रक्षा की बात कही गई है? क्या महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा रोकने की बात कहीं गई है? क्या यह सवत देश में महिलाएँ खुलकर बोल सकती है कि उन्हें क्या समस्याएं है? नहीं अभी भी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है।` अपनी समस्याऐं स्वतंत्र रूप से नही बोल सकती ये अधिकार उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक भी प्रापत नही था और आज भी प्राप्त दनही है। वह अन्दर ही अन्दर घुटती रहती है और कुछ नहीं कह पाती। स्त्री, आर्थिक, सामाजिक ढाँचे की बुनियादी बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना है जिसमें आर्थिक-बुनियादी ढाँचे को बदलने की बात कही गई हो जिसमें उसका शोषण होता है। क्या महिला को सामाजिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार भी नही है? इसलिए आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते है लेकिन फिर भी इस महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति होती है। भले ही पंचायतीराज के नाम पर राजनीति होती है। भले ही पंचायतराज में ५० प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई हो परन्तु क्या उनहें ५० प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ है? कहने को तो कहा जाता है कि महिला स्वतंत्र है उसे अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता की व अधिकार है परन्तु ये सब केवल कागजी बाते है। आज भी महिला सशक्तिकरण की राजनीति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। वर्तमान में महिला की स्थिति क्या है? व उसके अधिकार क्या है? ये हम-सब के लिए विचारणीय प्रश्न है।

वर्तमान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में १३४ देशों में सेभारत ११४ वें स्थान पर है (अमर उजाला १० नव. २००९) सदियों से भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया है और जी भीरकर उनका शोषण हुआ है तथा अत्याचार और उत्पीडन की कोई सीमा नही है। अशिक्षित महिलाएँ, स्वामीभक्त स्त्रियां, कर्मकाण्ड् और धर्म के अंधविश्वासों और रूढ़ियों से बँधी स्त्रियों, पति को सब-कुछ समर्पित करने वाली महिलाएँ, अपने अधिकारों की माँग का साहस कैसे

कर सकती है।? वर्तमान में भी सामंती सोच कैसे कर सकती है? वर्तमान में भी सामंती सोच पुरूष के अहम का हिस्सा है। उन्होनों तो जीवन पर्यन्त ही स्त्री का भोग किया है, उसे वस्तु की तरह प्रयोग किया है। उसे खरीदा और बेचा भी यह सिलसिला कही कम तो कही अधिक रूप में है। अर्थात् स्त्रियों को बेचने का सिलसिला अभी भी जारी है।

आज भी महिला अपनी सुरक्षा के ठोस उपाय चाहती है उन्हें भी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत की आधी दुनिया नारी की है। फिर उसे समान अधिकार प्राप्त है और पुरूषों को ६७ प्रतिशत फिर भी पुरूष वर्ग महिलाओं से भयभीत है क्यों? कहीं ऐसा तो नही हे कि पुरूष वर्ग सोचता है कि महिलाओं को अपने समकक्ष बिठाकर वह पुरूष के विचारों का खण्ड़न-मण्डन करेंगी। अक्सर पुरूष समाज ही यह तर्क प्रस्तुत करता है कि संविधान में स्त्री और पुरूष के समान अधिकार है। आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों में कही भी स्त्री-पुरूष में भेदभाव नहीं किया जायेगा और महिला कल्याण के लिए विभिन्न कानून जैसे:- ४९८ ए आई पी सी (दहेज उत्पीडन) ३/४ दहेज प्रतिबंध अधिनियम, दहेज माँगने वालों के खिलाफ सेक्सन १२ घरेलू हिंसा से सुरक्षा, १२५ सी आर पी. सी. हर्जा खर्च पाने के लिए, २९४ आई. पी. सीअभदंता (ईव टीजिंग के लिए) ३५३ शारीरिक छेडछाड़ व गंभीर स्थिति में, ३७६ आई. पीसी. रेप केस के लिए, धारा १४ के तहत और कई अन्य धाराओं में ''राइट टु लीव विद हुमन डिगनिटी'' के लिए नारी की सुरक्षा के लिए-हिन्दू विवाही अधिनियम (१९५५) हिन्दू अधिकार अधिनियम (१९५६), हिन्दू दलक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम (१९७१) कन्या-भ्रूण हत्या अधिनियम (१९९४, १९९६, २००३) घरेलू हिंसा अधिनियम (२००५), उपर्युक्त कानूनों के आधार पर पुरूष समाज यही दोहराता है कि नारी संवैधानिक दृष्टि से पुरूष के समान है और कानून ने उसे संरक्षण दिया है, जो भी नारी के विरूद्व किसी प्रकार का अत्याचार, उत्पीडन करता है, कानून उसे कठोर दण्ड़ देगा। परन्तु फिर भी वर्तमान में व्यावहारिक जीवन में स्त्री आज भी ठगी जाती है, सरेआम उसका अपमान होता है। रोज समाचार पत्र स्त्रियों के विरूद्व की गयी हिंसा से ीारे होते है ओर कानून चौराहै पर खड़ा होकर महिलाओं का उपहास उड़ाता रहता है। पुलिस और जनता आमने सामने रहती है फिर भी वह चुप रहती है या अनदेखी या अनदेखी कर देती है। या फिर वहाँ से गायब हो जाती है। महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ है जिसमें सभी पुरूष एकमत नही है। इसलिए पुरूष ३३ प्रतिशत संसद में महिला आरक्षण के विरूद्व है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि जो अधिकार उसका स्वयं का है उसे कोई छिन ले। इसलिए महिलाएं सशक्त होकर अपनाहक प्राप्त करना चाहती है। इसी कारण संसद में महिला सशकितकरण को राजनीति का पजामा पहना दिया गया है।

अब सवाल यह उठता है कि आज चुनावी राजनीति का जो चरित्र है, क्या उस स्थिति में राजनीति में आरक्षण से आम औरतों की जिंदगियो में कोई परिवर्तन आएगा? पहले संसद में जितनी औरतें पहुँचती रही है या आज जो विराजमान है। क्या वे आम औरत की जीवन स्थिति में रत्तीभर भी बदलाव करने में समर्थ हो पाई है? भारतीय उपहाद्वीप में बनजीर भुदटो, इन्दिरा गाँधी शेख हसीना, कुमारतुंगा एवं अन्य प्रभावशाली महिलाओं के सत्ता में आने के बाद भी औरतो की स्थिति में बदलाव लाने का कोई प्रयास हुआ है। आज जो महिलाएँ संसद में है वे अपनी-अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रही है न कि औरतों का किसी भी पार्टी की नातियां यह तय करती है कि वह औरतों के पथ में है या नही , न कि कोई औरत या मर्द। क्योंकि अकेले औरत कुछ नही है वह एक इकाई है पार्टी की। पार्टी का निर्णय ही सब कुछ होता है यही करण है कि संसद में जो महिलाएँ का संसद में आरक्षण हुआ है तो क्या वे अपने राजनीतिक दल से हटकर कुछ करने की क्षमता अपने में रखती है?

क्या इनका व्यक्त्वि कुछ न कर पाने में संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकती है या इस अर्थतंत्र में सांसद करोड़पति हो रहे। इस इस दो में शामिल होगी अथवा कीमीलेयर की तरह एक महिला आरक्षण की एक नई बिरादरी बना लेगी जो अपने ही परिवारों के लागों को आगे बढ़ने में सहायक बनेगी। एक नई वंश परस्पर नए नाम-महिला आरक्षण से जाएगी क्योंकि आजादी के पश्चात राजनीतिक-संस्कृति में परिवारवाद की भूमिका प्रमुख हो गई है। इससे अच्छा प्रोफेशन देश

सेवा के नाम पर नही हो सकता। इसमें सेवा कम और सेवा कही ज्यादा है इस संस्कृति से राजनीति और महिला राजनीति को निकालना होगा तभी महिला सशक्तिकरण की राजनीति का अर्थ हो सकेगा। कुछ ऐसी जेन्यून समस्याएँ भी होती है जिन्हें किसी देश की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। वे अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर बहस का मुद्दा बनती है, जब महिला समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र बहस करता है तो सम्पूर्ण विश्व में बहस का विषय बन जाता है। क्या कभी भारत ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर विचार किया? १९७५-८५ के अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक का ऐसा गरमाया दौर मैं था जिसमें राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधि के लिए आवाज गूंजने लगी थी। उसके बाद विभिन्न देशों ने महिला और राजनीति पर बहस की जाने लगी। इसी कारण लगभग दो दशकों से महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। जगह इनके लिए सेमिनार गोष्ठियां आयोजित की जाती है। लेख लिखे जाते है। लेकिन क्या इस प्रकार महिलाओं को वह अधिकार प्राप्त हो सकते है जो उसके सवयं के है?

इसको लेकर महिलाओं के लिए विधानसभा के लिए विधानसभा और लोकसभा में ३३ प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया उदाहरण १९९३ में ७३ वें ७४ वें सविधान संशोधन द्वारा पंचायत और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये। १९९५ में बीजिंग महिला सम्मेलन के पश्चात् महिला आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा और उसका परिणाम आया, १९९६ में महिला आरक्षण का विधेयक पारित किया गया भले भारत में महिला आरक्षण लागू हो गया पर पुरूष समाज उसे हेय दृष्टि से देखते है उनका मानना है कि महिलाओं को अधिकार देना उन्हें उदंड़ बनाना है दूसरे वह अपने अधिकारों का गलत उपयोग करेगी और घर-परिवारा पर भी ध्यान नही देगी तथा पुरूषों का वर्चस्व स्त्रियों के समक्ष कमजोर पड़ जायेगा। देखा जाये तो महिलाओं ने घरेलू परिवेश व सामाजिक परिवेश दोनों जगह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह किया है और पुरूष समाज की उपर्युक्त सोच को गलत साबित किया है।

आज भारत में १२ लाख से अधिक महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधि है। इन महिलाओं में जाति, धर्म, संप्रदाय की गंध नही आती और इनमें ही वर्ग, जाति, की महिलाएँ शामिल है। इन महिलाओं में भावनात्मक एकता है जहां न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। यह एक मौन क्रांति की लहर हैं जो ग्रामीण जीवन से आरंभ हुई और संसद की गलियों तक पहुँच गई। राजनीति में भले ही बदलाव आया हो परन्तु यह बदलाव नजर नहीं आया, परन्तु महिलाएँ क्षमता, बुद्वि, और चतुरता से काम करने की शक्ति पुरूषों से कम नही है। जैसे- इन्दिरा गाँधी, राजनीति में किसी से भी कम नहीं थी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्दरा राजे किसी भी राजनीतिज्ञ पुरूष पुरूष से कम नही है, और तो और आज संगठनात्मक स्तर पर सोनिया गांधी का नाम प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका है इसी कारण पुरूष वर्ग महिलाओं की सशक्तिकरण पर राजनीति करता है उसके कार्यो में हस्तक्षेप करके वह बतलाता है कि पुरूष वर्ग ही सर्वोपरि है और महिलाएं देश की बागड़ोर नहीं संभाल सकती जबकि सत्यता इसके विपरित है।

१५ वीं लोकसभा तक आते-जाते महिलाओं की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी इसी का परिणाम था कि २००१ में लोकसभा चुनाव में ५१ महिला सदस्य के आंकड़े यह प्रमाणित करते है कि महिला सशक्तिकरण की लहर पूरे देश में (कुछ को छोड़कर) अपनी पहचान सशक्त रूप से बना रही है आखिर महिलाएँ पुरूषों से किसी योग्यता और कार्यक्षमता में कम नही है। १९९६ में महिला आरक्षण विधेयक का ड्राफ्ट बनने के पश्चात, यह विधेयक संसद में बहस का मुद्दा बन गया और आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में बहसें होती रही, कोई महिला आरक्षण के पक्ष में तो कोई नहीं क्योकि पुरूषों में यह भय समाया हुआ था कि अगर महिलाओं ३३ प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाये तो पुरूषों का एकाधिकार और स्त्री की आवाज संसद में गूंजेगी जो आवाज घर की चार दीवारी के अनदर गूँजी जानी चाहिए वह आवाज संसद में उठायेगी। संघर्ष करेगी, बहस करेगी और महिला उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करेगी। एक स्वतंत्र महिला शक्ति संसद में बनेगी जो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करेगी।एक स्वतंत्र महिला शक्ति संसद में बनेगी जो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं कि समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करेगी और महिला उत्पीड़न के विरूद्ध खड़ी होगी। अभी तक महिला की आवाज को दबा दिया

जाता था क्योंकि उत्पीड़न और हिंसा का अपराधी तो पुरूष समाज ही होता था। पुरूष समाज ही महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, दहेज लेता है, दहेज के लिए हत्यायें भी करता है। वही जब वह प्रेम में असफल हो जाता है तो तेजाब भी फेंक देता है। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को अपमानित भी किया जाता है। फिर पुरूष समाज क्यों चाहेगा कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षएा प्रापत हो। आज भारत में महिला सशक्तिकरण की राजनीति की बात तो की जाती है परन्तु अभी तक महिला पूर्ण रूप से सशक्त कहाँ हुई है?

आज भी उसे पुरूषों से अधीन रहना पड़ता है। ये वास्तव में पुरूष समाज द्वारा महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति की गई है। महिलाओं को कवल मोहरा बनाया जाता है। पुरूष राजनीति में बंटवारे का पक्षधर नही है, वह तो शीर्ष पर रहा है। और वही रहना चाहता है। सांमती प्रकृति पुरूष के रग-रग में बसी हुई है, उस पर शास्त्रों ने भी पुरूषों की उच्चता, श्रेष्ठता, महानता का ताज पहना रखा है। वह पुरूषों के अधीन रहने वाली स्त्री को इतनी सरलता से स्वावलम्बी कैसे बनने देंगे। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की आज भी ३० प्रतिशत सहभागिता ही है। बच्चों के जन्म में तो उनकी राय तक नहीं जानी जाती और बच्चों का पालन-पोषण कैसे करना है। तथा उनकी शिक्षा किस प्रकार की होगी ये निर्णय भी महिलाओं के नहीं है। सम्पत्ति खरीदने व बेचने में भी १० प्रतिशत महिलाओं की ही सहमति जानी जाती है। आज राज्य सभा में ११ प्रतिशत लोकसभा में १०.७ प्रतिशत महिलाएँ ही कार्यरत है तथा न्यायालय में जज के रूप में ४५ प्रतिशत महिलाएँ तथा ५१प्रतिशत वकील के रूप में कार्यरत है और पुलिस विभाग में तो मात्र ५.३३ प्रतिशत महिलाएँ ही कार्यरत है। (net से) क्या ये आँकड़े महिलाओं की राजनीति के साथ छेड़ छाड़ को नहीं दर्शाति कि महिलाओं को अपने विचार प्रस्तुत करने और निर्णय लेने का अधिकार है।

इस कारण से सवाल उठता हैं कि पुरूष समाज द्वारा महिला सशक्तिकरण मात्र एक कोरा दिखावा है। भ्रम है, जालसाजी है, और महिलाओं के साथ, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति का एक घिनोना खेल खेल गया है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए महिलाओं को स्वयं अपने आपको सशक्त करना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति का खेल खेला जा रहा है वह बंद होगा। आज महिलाओं को आरक्षण की नही बल्कि स्वयं को सशक्त, स्वावलम्बी बनाने की आवश्यकता है। अभी भी कई पहलू ऐसे है जिनके जवाब हमें हतारी सरकारी और सांसदो से पाने है। आजादी के ६२ वर्षो में कूड़े बीन ने वाली, कागज बीनने वाली महिलाएँ को क्या आरक्षण का फायदा मिला? हमारे देश की सरकार या महिला सांसदो ने इन महिलाओं के लिए क्या किया? क्या इनके बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करके अपनी प्रस्थिति को उच्च बना सकते है? आज जो महिलाएँ संसद में बैठती है उन्होने महिलाओं की प्रस्थिति में स्त्री भर भी परिवर्तन किया? आदि कुछ सवाल ऐसे है जिनके जवाब हम सबको मिलकर ढूँढना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

१) बूलस्टोनकाफ्ट मेरी- १७९२'' ए विनडिफेशन आफॅ द राइटस आंफ बुमन'' फेड़न बैट्री- १९६३ ''फेमिनिन मिस्टेक'' हुम्स वी. - १९८४ ''फेमिनिस्ट प्रेक्अिस एण्ड़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट धिहरि'' सिंह वी. एन./ जनमेजय -२०१०'' आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण''

नंदाणिया परबत वीरा
बी.ए., बी.एड., एम.ए., एम.फिल.